"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 297] रायपुर, बुधवार दिनांक 9 नवम्बर 2011—कार्तिक 18, शक 1933

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ 110/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2011/1711.—दिनांक 04 नवम्बर, 2011 को नगर पालिका परिषद् बालोद, जिला दुर्ग, छ.ग. के 02 अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. के. तिवारी,
उप-सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-110/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

1. श्रीमति अनुपमा योगी, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पालिका परिषद् बालोद, जिला दुर्ग, छ.ग.

2. श्रीमति संगीता शर्मा, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पालिका परिषद् बालोद, जिला दुर्ग, छ.ग.

आदेश

(छ. ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 04 नवम्बर 2011

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) दुर्ग के प्रतिवेदन दिनांक 22 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पालिका परिषद् बालोद के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 3 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसंबर 2009 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) दुर्ग ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 23 फरवरी 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पालिका परिषद् बालोद के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाली अभ्यर्थी श्रीमति अनुपमा योगी एवं श्रीमति संगीता शर्मा द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) दुर्ग के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाली उपरोक्त अभ्यर्थियों श्रीमति अनुपमा योगी एवं श्रीमती संगीता शर्मा को दिनांक 11 जून 2010 को कारण बताओ सूचना जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में चाहा गया. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी श्रीमति अनुपमा योगी तथा श्रीमती संगीता शर्मा को दिनांक 24 जून 2010 को तामील की गई. कारण बताओ सूचना उपरोक्त अभ्यर्थी श्रीमति अनुपमा योगी को विधिवत् तामील होने के उपरान्त भी उसके द्वारा अपना जवाब न तो निर्धारित अवधि में और न ही आज पर्यन्त प्रस्तुत किया गया है. ऐसी स्थिति में यह माना गया कि उपरोक्त अभ्यर्थी को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है. तदनुसार उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई. अभ्यर्थी श्रीमति संगीता शर्मा ने आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना का जवाब फैक्स द्वारा दिनांक 7 जुलाई 2010 को प्रस्तुत कर अवगत कराया कि उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 30 जनवरी 2009 को जिला निर्वाचन कार्यालय स्थानीय निर्वाचन में प्रस्तुत कर दिया गया था.

4. अभ्यर्थी श्रीमति संगीता शर्मा द्वारा प्रस्तुत जवाब के सन्दर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी का अभिमत प्राप्त किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग ने अपने ज्ञापन क्रमांक 732 दिनांक 30 अगस्त 2010 में यह उल्लेख किया है कि अभ्यर्थी श्रीमति संगीता शर्मा द्वारा दिनांक 30 जननरी 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा प्ररतुत किया गया है. यद्यपि अभ्यर्थी ने अपने अभ्यावेदन में दिनांक 30 जनवरी 2009 का उल्लेख किया है.

5. अभ्यर्थी श्रीमति संगीता शर्मा को उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग के द्वारा दिये गये अभिमत के सन्दर्भ में प्रत्यक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया. इस हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 13 अक्टूबर 2010 एवं 10 नवम्बर 2010 की सूचना अभ्यर्थी को सम्यक् रूप से तामील नहीं होने के कारण इसकी तिथि पुन: दिनांक 8 दिसम्बर 2010 निर्धारित की गई. इस तिथि को अभ्यर्थी की ओर से उनके निर्वाचन अभिकर्ता घनश्याम शर्मा उपस्थित हुए तथा अभ्यर्थी के पत्र के समर्थन में विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया. तदनुसार इस हेतु दिनांक 11 जनवरी 2011 की तिथि निर्धारित की गई. इस तिथि को अभ्यर्थी की ओर से निर्वाचन अभिकर्ता घनश्याम शर्मा उपस्थित हुए. उनको सुना गया तथा उनके द्वारा अभ्यर्थी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उपस्थित नहीं होने का उल्लेख करते हुए आगामी तिथि चाही गई. प्रकरण में आगामी तिथि 8 फरवरी 2011 निर्धारित कर सूचित किया गया. अभ्यर्थी दिनांक 8 फरवरी 2011 को भी अनुपस्थित रहीं. प्रकरण के स्वरूप को देखते हुए अभ्यर्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 30 मार्च 2011 को आहूत किया गया. इस तिथि को भी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहीं. अभ्यर्थी को व्यक्तिश: सूचना पत्र तामील नहीं होने के कारण पुन: दिनांक 3 मई 2011 की तिथि निर्धारित कर अभ्यर्थी को आहूत करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया. सूचना पत्र अभ्यर्थी को दिनांक 21 अप्रैल 2011 को सम्यक् रूप से तामील होने के उपरान्त भी अभ्यर्थी श्रीमति संगीता शर्मा दिनांक 3 मई 2011 को सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुई. अतएव अभ्यर्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लिया गया.

6. प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) दुर्ग ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थियों श्रीमति अनुपमा योगी एवं श्रीमति संगीता शर्मा ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया. यह अधिनियम की धारा 32-क.(1) एवं 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :

"**धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा**—प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना**—अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अत: उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाना था. उक्त जानकारी 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था यद्यपि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) दुर्ग ने प्रतिवेदन में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 जनवरी 2010 होना दर्शाया है.

7. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) दुर्ग के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पालिका परिषद् बालोद के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाली अभ्यर्थियों श्रीमति अनुपमा योगी ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना का कोई जवाब दिया. इस असफलता के लिए उन्होंने कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी. इसी प्रकार अभ्यर्थी श्रीमति संगीता शर्मा ने यद्यपि जवाब प्रस्तुत किया किन्तु उनके द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया गया. स्पष्टत: निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि के उपरान्त विलम्ब से दाखिल किया गया. जैसा कि ऊपर दर्शाया गया इस संबंध में उन्हें अपने पक्ष समर्थन हेतु अवसर प्रदान करने हेतु आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए भेजे गये सूचना प्राप्ति के उपरान्त अनुपस्थित रहीं. अभ्यर्थी श्रीमति संगीता शर्मा ने अपने जवाब में दर्शाया है कि प्रश्नाधीन निर्वाचन व्यय लेखा उनके द्वारा 30 जनवरी 2009 को प्रस्तुत किया गया जो असंगत प्रतीत होता है क्योंकि निर्वाचन परिणाम 27 दिसम्बर 2009 को घोषित किया गया था. अत: मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थियों श्रीमति अनुपमा योगी एवं श्रीमति संगीता शर्मा प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रही हैं तथा उक्त अभ्यर्थीगण इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखती हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों श्रीमति अनुपमा योगी एवं श्रीमति संगीता शर्मा को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से चार वर्ष की कालावधि के लिये नगर पालिका परिषद् का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

8. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 04 नवम्बर 2011 को जारी किया गया.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.